



143 144

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)



RS167-II/15

सुरेश प्रसाद वर्मा तनय स्व0 श्री रामसुन्दर वर्मा, उम्र लगभग 53 वर्ष, पेशा नौकरी (शिक्षक), निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवाँ) तहसील व थाना मनगवाँ, जिला रीवा (म0प्र0)

श्री विप्रोद विषाणी एडवोकेट
प्रस्तुत 10/11/15

आवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1- प्रेमवती पत्नी स्व0 रामनाथ विश्वकर्मा, उम्र 60 वर्ष, पेशा नौकरी
 - 2- सुनीता पुत्री रामनाथ विश्वकर्मा, उम्र 45 वर्ष
- दोनो निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवाँ) तहसील व थाना मनगवाँ, जिला रीवा (म0प्र0), वर्तमान निवासी वार्ड क0-26 पोखरी टोला रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

अनावेदकगण/गैरनिगराकारगण

राजस्व निरीक्षक वृत्त मनगवाँ, तहसील मनगवा, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क0-19-अ-12/14-15 में पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 08/06/15 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :-


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं0-60/20 के सीमावर्ती स्वामी विक्रेता अनावेदिकागण है । आवेदक ने भूमि खसरा क0-60/7, 60/6 व 60/5 का नक्शा सुधार हो जाने के बाद भूमि खसरा क0-60/6(क) की भूमिस्वामी से 0.02 ए0 रकता जरिए विक्रय विलेख करवा किया है । आवेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5167-II/15

जिला-रीवा

सुरेश प्रसाद वर्मा/प्रेमवती विश्वकर्मा

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

